न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—159 / 2024

प्रार्थी:—

मांगीलाल पुत्र गुनेशदास जाति सत निवासी रातड़ी तहसील समदडी जिला बालोतरा हाल निवासी मकान नंबर 355 सजनी बाई आश्रम के पास, बालोतरा जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. अर्जुनदास पुत्र पोकरदास
3. घमण्डीराम पुत्र पोकरदास
4. सोमदास पुत्र पोकरदास
5. बाबूदास पुत्र पोकरदास
6. चन्द्रभान पुत्र पोकरदास
7. टीपूदेवी पत्नी स्वं. पोकरदास
8. माधोदास पुत्र गुणेशदास
9. चम्पादास पुत्र गुणेशदास
10. जगदीश पुत्र गुणेशदास
11. घीसूदास पुत्र गुणेशदास
12. सकूदेवी बेवा गुणेशदास
    जाति साद निवासी रातडी तहसील समदड़ी जिला बालोतरा
13. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.शाखा—खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

1. **श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **विप्रार्थीगण अनुपस्थित**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 11.06.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 215, 27, 596 / 393, 600 / 89, 601 / 90, 604 / 364, 26 व 211, कुल रकबा 32.7229 हैक्टेयर भूमि ग्राम रातडी तहसील समदडी में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के सभी समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड बैंक पासबुक आदि में उसका वास्तविक नाम "मांगीलाल" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "मांगीदास" लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.28 16:37:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगणों के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/953 दिनांक 02.06.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज जन आधार कार्ड,ग्राम पंचायत रातडी का प्रमाणपत्र व बैंक पास बुक की प्रति पेश किया । प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी व चम्पालाल के बयान कलमबद किये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''मांगीलाल' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 215, 27, 596/393, 600/89, 601/90, 604/364, 26 व 211, कुल रकबा 32.7229 हैक्टेयर भूमि ग्राम रातड़ी तहसील समदडी में प्रार्थी का नाम ''मांगीदास'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, बैंक पासबुक,व ग्राम पंचायत रातडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''मांगीलाल'' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''मांगीदास'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रातडी तहसील समदडी के खसरा संख्या 215, 27, 596/393, 600/89, 601/90, 604/364, 26 व 211, कुल रकबा 32.7229 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''मांगीदास '' के स्थान पर ''मांगीलाल '' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.06.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.06.28 15:37:42 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)